

SPEED POST.



**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**  
**PANCHDEEP BHAWAN: CIG ROAD: NEW DELHI-2**

No. Z-12/14/ 2/2005 - RTI - 1062

Date: 06<sup>th</sup> August, 2009

To,

1. P.S. to D.G./ F.C./ I.C. / M.C./ A.C.(P&A)
2. All Regional Directors,
3. All Joint Director In-Charge of SROs./Divisional Offices'
4. All Medical Superintendents of ESI / ESI Model Hospitals
5. Director ( Medical ) Delhi / Noida
6. Joint Director (Estt.V & VI ) Hqrs.
7. All Officers of Hqrs. Office.
8. All branches of Hqrs. Office.

Subject:- Designation of Appellate Authority in ESI Corporation  
under the RTI Act – reg.

.....

Consequent upon the posting of Dr. (Mrs.) K. Tyagi as Medical  
Commissioner, the Director General has designated her as Appellate  
Authority for Medical Administration (Hqrs.) under the RTI Act, 2005.

Yours faithfully,

(RAJ KANWAL)  
JOINT DIRECTOR (RTI)

Copy to:- Joint Director (System) is requested upload and  
update this matter in the "ESIC website" for  
public information.

for Joint Director (RTI)



कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली  
आई.एस.ओ. 9001-2000 (क्यू.एम.एस.) द्वारा प्रमाणित

तत्काल

संख्या: जैड-12/14/2/2005-आर.टी.आई.

दिनांक: 06 अगस्त, 2009

सेवा में,

1. महानिदेशक/ वित्त आयुक्त/ बीमा आयुक्त/  
चिकित्सा आयुक्त के निजी सचिव ।
2. सभी क्षेत्रीय निदेशक/ संयुक्त निदेशक प्रभारी,  
उप क्षेत्रीय कार्यालय/ मंडल कार्यालय ।
3. सभी क.रा.बी./ क.रा.बी.मॉडल अस्पताल  
के चिकित्सा अधीक्षक ।
4. मुख्यालय के सभी अधिकारी/ शाखाएँ ।

विषय: क.रा.बी.निगम में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन अपील अधिकारी को पदनामित करना ।

महोदय,

डॉ.(श्रीमती) के.त्यागी के चिकित्सा आयुक्त की पदस्थापना के फलस्वरूप, महानिदेशक ने उन्हें सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन चिकित्सा प्रशासन (मुख्यालय) के लिए अपील अधिकारी पदनामित किया है ।

भवदीय,

(15/08/09)

(राजकंवल)

संयुक्त निदेशक (आर.टी.आई.)

प्रतिक्रिया:- संयुक्त निदेशक, वित्त (आर.टी.आई.) के आदेशों के लिए इस तरह के क.रा.बी. निगम के वेबसाइट पर लीड करके जानें कि चिकित्सा प्रशासन के रूप में देवकी जाए।

संयुक्त निदेशक (आर.टी.आई.)